

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बईजलास श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, बीकानेर

नम्बर मुकदमा 59/11 रेफरेंस प्रार्थना पत्र
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

केवलराम पुत्र जेठाराम माली निवासी बीकानेर

अप्रार्थी

:: रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित :-

- 1- स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि
- 2- अप्रार्थी की ओर से श्री धन्नेसिंह, अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 4.03.2020

1- प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चक गर्बी के खसरा नं. 1345/159 रकबा 30 बीघा (खाम) भूमि अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी तत्पश्चात तहसीलदार, बीकानेर ने नियम विरुद्ध आदेश क्रमांक 137 दिनांक 25.04.07 से अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। अप्रार्थी के नाम की गई खातेदारी भूमि बीकानेर शहर के मास्टर प्लान में होने के कारण तहसीलदार द्वारा प्रदान की गई खातेदारी विधि विरुद्ध व निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस किया जावे।

2- रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।


3- तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

कलक्टर, बीकानेर

सत्य प्रतिलिपि
कलक्टर, बीकानेर

4- स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि ग्राम चक गर्बी के खसरा नं. 1345/159 रकबा 30 बीघा (खाम) भूमि अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी तत्पश्चात तहसीलदार, बीकानेर ने नियम विरुद्ध आदेश क्रमांक 137 दिनांक 25.04.07 से अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। अप्रार्थीगण के नाम की गई खातेदारी भूमि बीकानेर शहर के मास्टर प्लान में हाने के कारण तहसीलदार द्वारा प्रदान की गई खातेदारी विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। विभागीय प्रतिनिधि की यह भी बहस है कि प्रश्नगत रकबा नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.6.1976 से मास्टर प्लान वर्ष 1981 में अनुमोदित हो चुका है। उक्त रकबा मास्टर प्लान के पैराफैरी कन्ट्रोल बेल्ट में होने के कारण खातेदारी नहीं दी जा सकती। राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या पं.6 (5)राज-6/96/पार्ट दिनांक 18.11.2004 एवं राजस्व (उपनिवेशन). विभाग के पत्रांक प-3(132)24/2004 दिनांक 18.10.2004 के द्वारा यह निर्देश प्रदान किये है कि शहरी क्षेत्र व पेरीफैरी क्षेत्र में आनेवाली भूमि का ना तो आबंटन किया जावे और ना ही उसका नियमन किया जावे। अतः खातेदारी आदेश दिनांक 20.09.2006 निरस्त किये जाने बाबत प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रप्रेषित किया जावे।

5. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि वादगत भूमि जमाबंदी संवत् 2045 में अप्रार्थी के नाम बतौर गैर खातेदारी अंकित है। उक्त रकबा अप्रार्थी को पूर्वजो को आवंटन किया गया था। तब से लगातार अप्रार्थी के कब्जे काश्त में होने के कारण आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना करने पर नियमों के अंतर्गत खातेदारी प्रदान की गयी है जिसे प्राप्त करने का अप्रार्थी अधिकारी था व हैं। खातेदारी आदेश कानून के विपरित है तो उसकी अपील निर्धारित समयावधि में की जानी चाहिए थी जो आज दिन तक नहीं की गयी है। किसी भी पक्षकार को प्राप्त अधिकारों को बैकडोर एन्ट्री से निरस्त नहीं किया जा सकता। रेफरेंस का सहारा लेकर खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते। प्रस्तुत प्रकरण कानूनी की परिधि में नहीं आने के कारण तथा रेफरेंस योग्य नहीं होने के कारण एवं पूर्णतया मियाद बाहर होने के कारण इसी स्टेज पर ड्रॉप फरमाया जावे।


 II क्लर्क, बीकानेर

6- हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार बीकानेर द्वारा राज्यादेशों व कानून के विपरीत जाकर अप्रार्थीगण को ग्राम चक गर्बी के खसरा नं. 1345/159 रकबा 30 बीघा (खाम) भूमि अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी तत्पश्चात तहसीलदार, बीकानेर ने नियम विरुद्ध आदेश क्रमांक 137 दिनांक 25.04.07 के द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। जिस समय खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे उस समय प्रश्नगत भूमि नगरीय विकास विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1(13) टीपी/II/72 दिनांक 16.6.1976 के द्वारा बीकानेर शहर की शहरी सीमा क्षेत्र में अधिसूचित होकर 1981 में अनुमोदन हो चुका है। राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर ने आदेश क्रमांक प 3(4)उप/91/जयपुर दिनांक 4.7.2003 के द्वारा यह आदेश थे राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कॉलोनी) शर्त 1955 की शर्त संख्या 6-7 के प्रावधानों के अनुसार जो रकबा (भूमि) मास्टर प्लान के पेराफेरी कंट्रोल के अर्न्तगत आती है उस भूमि की खातेदारी सनद जारी नहीं की जावे। प्रकरण में गैर खातेदारी/टी.सी. होल्डर को दी गयी खातेदारी से कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4(5) को उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार प्रकरण में राज्य सरकार के नियमों, निर्देशों, आदेशों की अवेहलना करते हुए नियम विरुद्ध दी गयी खातेदारी एबइनिशियो वॉयड होने के कारण निरस्त योग्य है। मामले के आद्योपान्त अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि तहसीलदार, बीकानेर द्वारा राज्य आदेशों के विपरीत जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं। अतः प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित किया जाना न्यायौचित पाते हैं।

7. उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित कर निवेदन है कि तहसीलदार बीकानेर द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में पारित खातेदारी आदेश क्रमांक 137 दिनांक 25.04.07 विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जावे व प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें। उपस्थित पक्षकारान को निर्देश दिये जाते हैं कि वे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दिनांक 17.04.2020 को उपस्थित हों।

8. आदेश आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कुमार पाल गौतम)
जिला कलेक्टर, बीकानेर
जिला कलेक्टर, बीकानेर